न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 66/2011 श्री देवीलाल बनाम श्री कचरू

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी बागीदौरा दिनांक 28–02–2011 प्रकरण संख्या 50/2010 वाद —————————	
13–04–2018	वकील उभयपक्ष अनुपस्थित । प्रकरण में समायत शुदा बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28–2–2011 को अपीलान्ट प्रतिवादी की एक–तरफा कार्यवाही अपास्त किये जाने के आवेदन को खारिज कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री पारित की है। प्रथम दृष्टया एक–तरफा कार्यवाही अपास्त किये जाने के आवेदन की अपील इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नहीं है। प्रकरण में जहां तक प्रारम्भिक डिक्री के गुणावगुण पर आपत्ति का प्रश्न है, अपीलान्ट द्वारा प्रारम्भिक डिक्री में किसी प्रकार के प्रभावी उजर पेश नहीं किये है तथा बैंक रहन का जो कथन किया है वह भी प्रकरण में महत्वहीन है, क्योंकि प्रकरण में अंतिम डिक्री दिनांक 23–6–2015 को होकर रहन अपीलान्ट के खाते पर दर्ज नहीं है। अपील अपीलान्ट विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री प्रथम दृष्टया उपरोक्त विवेचनानुसार पोषणीय नहीं है। तथा गुणावगुण व क्षैत्राधिकार आधार पर सारहीन है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–2–2011 यथावत रखी जाती है। प्रकरण में दौराने कार्यवाही अंतिम डिक्री भी दिनांक 23–6–2015 को पारित हो चुकी है। अपीलान्ट/पक्षकार उक्त डिक्री के विरूद्ध यदि व्यथित हो तो अपील करने को स्वतन्त्र है। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13–04–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(एल.एन. मंत्री)** **भू–प्रबन्ध अधिकारी** **एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी** **उदयपुर**	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 66/2011 श्री देवीलाल बनाम श्री कचरू

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....**उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

1–श्री देवीलाल पिता काउडा भील
निवासी चोथमल, तहसील
बागीदौरा जिला बांसवाड़ा

बनाम

1– श्री कचरू पिता काउडा भील
निवासी चोथमल तहसील
बागीदौरा जिला बांसवाड़ा
अन्य–1 व सरकार

अपील नं0 **66/2011** बनाराजगी डिगरी अदालत.......... **उपखण्ड अधिकारी** ....**बागीदौरा**............ मुकाम मुर्ख्खे.........**28**.............माह............**02**..............**2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ......**13**......... माह ......**04**.......... सन् **2018**.....रूबरू............ पक्षकारान व हाजरी ....**श्री मुकेश द्विवेदी** मिनजानिब अपीलान्ट व .... **श्री भगवतपुरी** .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–2–2011 यथावत रखी जाती है। प्रकरण में दौराने कार्यवाही अंतिम डिक्री भी दिनांक 23–6–2015 को पारित हो चुकी है। अपीलान्ट/पक्षकार उक्त डिक्री के विरूद्ध यदि व्यथित हो तो अपील करने को स्वतन्त्र है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये.......... X ...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख ....**13**...... माह ...**04**....... **2018** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 66/2011 श्री देवीलाल बनाम श्री कचरू

1. स्टाम्प अपील .... स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा .... 3. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84/2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0...... .... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........27............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा....... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Bsw-D 66/2011 श्री देवीलाल बनाम श्री कचरू

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम .... **उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य –2

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........08.............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0.800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील					
6. स्टाम्प वकालत नामा.......					
7. इजराय हुक्मनामा					
8. वकील फीस बाबत					
मीजान					
.					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।